इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर 2018—आश्विन 5, शक 1940

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018

क्र. एफ 19-27-2017-बारह-1.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2018 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, त्रुटिवश पृष्ठ क्रमांक-2 का बिन्दु क्रमांक 2(1)(क) से (छ) तक पृष्ठ का प्रकाशन छूट गया है. जो आज दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.

2. **परिभाषाएं** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957);

(ख) ''अध्यक्ष'', ''नगरपालिका'' / ''नगरपरिषद्'' एवं ''मुख्य नगर पालिका अधिकारी'' से वही अर्थ होगा, जो उन्हें मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में समनुदेशित है;

(ग) ''जिला खनिज प्रतिष्ठान'' का वही अर्थ होगा, जो उन्हें मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में समनुदेशित है;

(घ) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "ग्राम पंचायत", "जनपद पंचायत", "जिला पंचायत" और "ग्राम सभा" का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में समनुदेशित है;

(छ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्ति अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्ति अथवा भण्डारण अनुज्ञप्ति का धारक;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.